[भारत के राजपत्र, (असाधारण), के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 33 /2019- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. _____(अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 50 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और शिपिंग बिल (ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन) रेग्युलेशनस, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा ना की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग तथा प्रारम्भ. — (1) इन विनियमों को शिपिंग बिल (ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग) रेग्युलेशनस, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम उन सभी सीमाशुल्क स्टेशनों से माल के होने वाले निर्यात पर लागू होंगे जहां जहां इंडियन कस्टम्स एलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम चालू है।

(3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ. – (1) इन विनियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत ना हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" से अभिप्राय ऐसे किसी निर्यातकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी व्यक्ति से हैं जिसके पास कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशनस, 2018 के अंतर्गत वैध लाइसेंस हो और इसमे कस्टम्स ब्रोकर का ऐसा कोई कर्मचारी भी आएगा जिसको कि कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशनस, 2018, के अंतर्गत फार्म जी में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया हो;

(ग) "ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन" से अभिप्राय ऐसे ब्योरे से है जो कि उस निर्यात माल से संबन्धित जिनका प्रवेश इंडियन कस्टम्स ईलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम में होता हो;

(घ) "ICEGATE" से अभिप्राय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम से है;

(ड़) "धारा" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है;

(च) "सेवा केंद्र" से अभिप्राय प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थान से है जहां पर कि किसी ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन कि डाटा एंट्री की जाती हो;

(छ) "शिप्पिंग बिल" से अभिप्राय ऐसे ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन से है जो कि इंडियन कस्टम्स ईलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम के द्वारा स्वीकार किया गया हो और इसके द्वारा इसे एक अद्वितीय संख्या प्रदान की गयी हो और इसमे ईलेक्ट्रोनिक रिकोर्ड्स और प्रिंटआउटस भी आते है।

स्पष्टीकरण. – इस उपवाक्य के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "ईलेक्ट्रोनिक रिकोर्ड्स" का वही अभिप्राय होगा जो इसके लिए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया हो;

(ज) "समर्थन कार्य दस्तावेज़" से अभिप्राय उस ईलेक्ट्रोनिक या अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेजों से है जो कि उक्त अधिनियम की क्रमश: धारा 17 और 50 के अंतर्गत निर्यात माल के क्लियरेंस के लिए प्रासंगिक हो।

(ञ) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका प्रयोग इन विनियमों मे तो हुआ हो लेकिन वे यहाँ परिभाषित ना हो कर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित हैं, का वही अभिप्राय होगा जो इनके लिए उक्त अधिनियम में दिया गया हो।

3. **प्राधिकृत व्यक्ति को ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन करना होगा**. – प्राधिकृत व्यक्ति को–

(क) ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन करना होगा और उसे ICEGATE पर अपना डिजिटल हस्ताक्षर करके समर्थनकारी दस्तावेजों को ICEGATE पर अपलोड करना होगा; या

(ख) ICEGATE पर ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन करना होगा और साथ में सेवा केन्द्रों कि सहायता लेकर समर्थनकारी दस्तावेज़ भी अपलोड करना होगा।

स्पष्टीकरण. — इस विनियम के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही अभिप्राय होगा जो इसके लिए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया हो;

4. **शिप्पिंग बिल को जब दायर हुआ माना जाएगा और स्व:आंकलन को पूर्ण माना जाएगा.** – शिप्पिंग बिल को जब दायर हुआ माना जाएगा और स्व:आंकलन को तब पूरा माना जाएगा जब, ICEGATE पर ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन किए जाने के पश्चात या सेवा केन्द्रों की सहायता से डाटा एंट्री किए जाने के बाद, उक्त घोषणा के उद्देश्य से इंडियन कस्टम्स ईलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम पर शिप्पिंग बिल की संख्या जनरेट हो गयी हो।

5. **धारा 51 या धारा 69 के अंतर्गत आदेश.** – आंकलन का काम पूरा हो जाने, शुल्क या उपकर आदि, यदि कोई हो, का भुगतान हो जाने और निर्यात माल की जांच हो जाने, यदि जरूरी हो, के पश्चात धारा 51 की उपधारा (1) या धारा 69, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आदेश जारी करके, क्लियरेंस की अनुमति दी जाएगी और इस विनियम के अंतर्गत जारी होने वाले ऐसे आदेश को ICEGATE पर दर्ज किया जाएगा और इसको प्राधिकृत व्यक्ति, अभिरक्षी और अन्य कोई व्यक्ति जिसे की प्राधिकृत व्यक्ति नामित करे, को दे दिया जाएगा।

6. **शिप्पिंग बिल की आंकलित प्रति और समर्थनकारी दस्तावेजों को अपने पास रखना.** – प्राधिकृत व्यक्ति शिप्पिंग बिल के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक, शिप्पिंग बिल की आंकलित प्रति, डिजिटल या अन्य किसी भी रूप में, और सभी समर्थनकारी दस्तावेजों को मूल रूप में रखेगा जो कि ईलेक्ट्रोनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन को किए जाने में उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए थे या उनको आधार बनाया गया था और वह उनको इस अधिनियम के अंतर्गत या तथसमय लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार कि कार्यवाही या प्रक्रिया के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

7. **शिप्पिंग बिल की अभिप्रमाणित प्रति तैयार करना.** – प्राधिकृत व्यक्ति के अनुरोध पर शिप्पिंग बिल की एक अभिप्रमाणित प्रति तैयार की जा सकेगी यदि उक्त प्रति को तत्समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अनुपालन में उसके द्वारा रखना जरूरी हो।

8. **इन विनियमों के उल्लंघन आदि के लिए दंड.** – कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति जो कि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या जो कि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाता है दंड का भागी होगा जो कि पचास हज़ार रुपए तक हो सकता है।

[फ़ाइल संख्या 450/148/2015-सीमाशुल्क IV]

ज़ुबैर रियाज़

(ज़ुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)